



ब्रिटिश कालीन ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था

□ डॉ० मानस दुबे

आरम्भ से अंग्रेजी शासन का भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दोनों व्यवस्थाओं पर अत्यन्त महत्वपूर्ण और मौलिक प्रभाव पड़ने लगा था। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था, समाज-व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, इन सबको अलग-अलग न करके अंग्रेजी शासन के प्रभाव को एक पूरी चीज मान कर देखें तो ज्ञात होगा कि इन सबके मूल में उसकी व्यापार नीति ही थी। अतः अंग्रेजी शासन काल में भारत की आर्थिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी व्यापार नीति तथा भारत की व्यापारिक गतिविधियों पर ही विचार करेंगे। आर्थिक संरचना के दूसरे महत्वपूर्ण अंग अर्थात् यहाँ की कृषि एवं भूमि व्यवस्था का विवेचन इसके बाद करेंगे क्योंकि उसमें हुए परिवर्तनों का मूल कारण यहाँ की व्यापारिक गतिविधियाँ ही थीं।

व्यापारिक गतिविधियाँ सर्वविदित हैं, अंग्रेजों का आगमन व्यापार के द्वारा ही हुआ और उनकी व्यापार नीति से ही यहाँ की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन हुए। इसलिए हमें इस व्यापार नीति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अंग्रेजों की 18वीं और 19वीं शताब्दी की व्यापार नीति को हम दो भागों में बाँट सकते हैं, क्योंकि यहाँ के व्यापार में अंग्रेज पूँजीपति दो प्रकार के थे—एक तो वे जो विशुद्ध व्यापारी थे और दूसरे वे जो व्यापारी कम और उद्योगपति अधिक; दोनों के हित, स्वार्थ और काम करने के ढंग एक दूसरे से काफी भिन्न थे। इन दोनों पर अलग-अलग विचार करना अधिक उचित होगा।

(1) सबसे पहले हम अंग्रेजों की उस व्यापार-नीति पर विचार करेंगे जिसका संचालन विशुद्ध व्यावसायिक पूँजी वालों के हाथ में था। भारत में यही लोग सबसे पहले आये थे और इनका केवल यह उद्देश्य था कि भारत के कच्चे-पक्के हर तरह के माल को कम से कम मूल्य पर व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लें। यह माल वे लोग सोने-चाँदी के बदले में खरीदते थे। लेकिन आरम्भ में चूँकि यहाँ की शासन व्यवस्था पर उनका अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें एकाधिकार नहीं प्राप्त था और अन्य

विदेशियों से उन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ती थी, इसलिए उन्हें यह माल कम से कम मूल्य पर नहीं मिल पाता था। फलतः अपने रास्ते से ये अड़ों दूर करने के वास्ते उनके लिए राजसत्ता में भी हाथ डालना आवश्यक हो गया और 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त होने पर उनके इस उद्देश्य की पूर्ति हो गयी; इस विजय के फलस्वरूप बंगाल, बिहार, और उड़ीसा पर एक प्रकार से उनका राजनीतिक अधिकार हो गया। फलतः अब व्यापारिक एकाधिकार के साथ-साथ वे यहाँ का माल मिट्टी मोल खरीदने लगे। आठ साल बाद उन्होंने बंगाल के नवाब के हाथ से प्रशासनिक अधिकार भी ले लिया जिसमें यहाँ की दीवानी अर्थात् माल व्यवस्था भी शामिल थी। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्व से प्राप्त लाभ की मात्रा दिन-दूनी और रात-चौगुनी बढ़ गयी। अब भारत में निर्यात इतना बढ़ गया कि उसके मुकाबले में आयात की मात्रा नहीं के बराबर रह गयी। इसी के साथ-साथ दीवानी और प्रशासन के लिए वे नवाब से अधिकाधिक धन घसीटने लगे। करों और नज़रानों की रकम भी उन्होंने खूब बढ़ा दी; भूमि की मालगुजारी में भी वृद्धि कर दी; शिल्पियों, दस्ताकारों एवं कारीगरों पर भी कर लगा दिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार, करों, नजरानों और रिश्वतों आदि से कम्पनी का खज़ानी उसके कर्मचारियों की जेबों और इनके साथ-साथ इनके लगुवा-भगुवा भारतीय व्यापारियों की तिजोरियाँ खूब भरने लगीं। मुग़ल काल में भारत के बने माल के निर्यात से जो अपार धनराशि भारत के लोगों को मिलती थी, उस धन-राशि का बहुत बड़ा भाग अब विदेशी व्यापारियों और उनके सहयोगियों की जेबों में जाने लगा।

(2) भारत तथा अन्य उपनिवेशों से कमाये गये अपार धन की बदौलत 17वीं-18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो असाधारण समृद्धि की लहर आयी उससे वहाँ एक जबर्दस्त औद्योगिक क्रांति हुई और वहाँ के उद्योगपतियों के लिए बाज़ारों की समस्या पैदा हो गयीं उनके सामने प्रश्न था कि विभिन्न उद्योग-धन्धों से उत्पादित माल को कहाँ बेचा जाय। फलतः उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मालिक व्यापारियों का विरोध किया। उद्योगपति चाहते थे कि वे अपने बने हुए माल का भारत को निर्यात करें और यहाँ की बाज़ारों को अपने माल से भर दें। अतः उन्होंने प्रयत्न किया कि एक तो कम्पनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार न रहे, दूसरे वह भारत से अन्धा-धुन्ध निर्यात करने की नीति बन्द कर दे और तीसरे ब्रिटिश माल को भारत की मण्डियों में अधिक से अधिक खपायें। धीरे-धीरे ब्रिटेन के नवोदित उद्योगपतियों का अपने देश में ज्यों-ज्यों प्रभाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र भी उनके आन्दोलन से प्रभावित होने लगे। यह इन्हीं के आन्दोलन का परिणाम था कि 1701 में एक कानून बना कि इंग्लैण्ड में कोई व्यक्ति भारत से गये सूती या रेशमी कपड़े न पहने; लेकिन जब इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो दूसरे ही वर्ष भारत से जाने वाले सादे कपड़ों पर 15 प्रतिशत की आयात चुँगी लगा दी गयी क्योंकि बहुत से व्यापारी इन सादे कपड़ों को वहीं रंग और छाप कर बेचते थे। अन्त में 1717 में ब्रिटेन में रंगे और छपे भारतीय कपड़ों के पहनने और बेचने पर जुर्माना तक लगा दिया गया—यद्यपि फिर भी भारतीय निर्यात पर

कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ सका।

1773 का भारत कानून अनेक अर्थों में काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी के साथ-साथ भारत में कृषि एवं भूमि-व्यवस्था अर्थात् कार्तकारी बन्दोबस्त को भी एक व्यवस्थित रूप देने के लिए 1763 में इस्तमरारी बन्दोबस्त सम्बन्धी कानून (Permanent Settlement) बनाया गया। तेज परिवहन तथा संचार-व्यवस्था की सुविधाएँ भी उपलब्ध की गयीं।

परिणाम— इस सब व्यवस्थाओं से भारत के विदेश-व्यापार का रूप ही बदल गयां पहले भारत मुख्यतः अपने यहाँ के बने हुए सूती और रेशमी कपड़े और मसाले निर्यात करता था। लेकिन अब वह ब्रिटेन की मशीनों से बने सूती कपड़ों तथा अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं का बहुत अधिक आयात और तरह-तरह के कच्चे माल तथा खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगा। भारतीय व्यापार के रूप में इस मौलिक (पहले से बिल्कुल उल्टे) परिवर्तन का इसलिए और भी ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि इस परिवर्तन के साथ-साथ यहाँ जमींदारी या भूमि के निजी स्वामित्व की प्रथा का भी उदय और विकास हुआ और यहाँ के ग्रामीण समुदायों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जैसा कि हम अभी देखेंगे।

व्यापार के इस रूप-परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था अर्थात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्पादन में लगे लोगों के परस्पर सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन हो गया। उत्पादन का रूप भी बिल्कुल बदल गया; जहाँ पहले कृषि उत्पादन केवल इस्तेमाल के लिए, निर्वाह के लिए होता था, वहीं अब यह मुनाफ़ा कमाने और बाज़ार में बेचने के लिए होने लगा; पहले उसका आधार ग्राम के लोगों की आवश्यकता थी, अब उसका आधार बाज़ार में होने वाली माँग हो गयी। फ़सलों का मूल्य अब उपयोगिता नहीं बल्कि बाज़ार में उनके बिकने पर मिलने वाले धन से आँका जाने लगा।

इसी के साथ-साथ 16वीं शताब्दी के मध्य से देश में परिवहन के साधनों के रूप में रेलों और

स्टीमर जहोजों को भी चालू कर दिया गया ताकि एक ओर तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बन्दरगाहों तक जल्दी और तेजी से माल पहुँचाया जा सके और दूसरी ओर ब्रिटेन से आये तैयार माल को आसानी से देश भर की बाजारों और मण्डियों को भेजा जा सके।

1765 से नागरिक प्रशासन पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाने का सबसे अधिक घातक परिणाम यह हुआ कि एक तो वे भारतीय माल अत्यन्त सस्ते दामों पर खरीदते थे; दूसरे यह हुआ कि अंग्रेज तो बिना किसी कर या चुंगी के व्यापार करते थे लेकिन भारतीय व्यापारियों को व्यापारिक कर तथा चुंगी देनी पड़ती थी जिसके फलस्वरूप भारत के बड़े-बड़े व्यवसायी और व्यापारी या तो धीरे-धीरे खत्म ही हो

गये या फिर कम्पनी के एजेन्ट या दलाल मात्र रह गये; दस्तकारों-कारीगरों को न्यूनतम वेतन या दाम पर कम्पनी वाले व्यापारियों के लिए काम करना पड़ता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Rise and Fulltilment or British Rule in India by Edward Thompson and G.T. Garratt.
2. Dalhousie's Administration or British India by Edwin Arnold, I.P. 325. Quoted in British power in The punjab 1839 - 1858 by N.M - khilani.
